


न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
राजस्व अपील संख्या 229/2021
अनवान चन्दनमल बनाम हुकमीचन्द वगैराह

23.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता श्रीमती स्नेहलता सॉखला ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का देहान्त हो चुका है, उसके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई दिशा-निर्देश अपीलांट अधिवक्ता को नहीं दिये गये है। इस कारण अपीलांट अधिवक्ता उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज करवाना चाहती है। अतः अपीलांट अधिवक्ता के आग्रह पर उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्य प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे।



(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर